

M.C.

जिला जीएचए

बिहार लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, दिल्ली

e. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

d. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

c. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

b. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

a. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

12. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

11. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

10. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

9. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

8. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

7. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

6. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

5. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

4. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

3. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

2. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

सूचना, बीएसबी सीड, जीएचए

के सात

बिहार लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, नई दिल्ली

b. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

a. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

1. उत्तर प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर (कोट) उत्तर कायम

म

नी

ब

----- अधिसूचना

जिला जीएचए

बिहार लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, दिल्ली

4. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

3. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

2. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

1. प्रश्न संख्या 100 के लिए उत्तर

~~XXXX~~

यूएन वादी सौजन्य को संवत् 2033 में सामाजिक शीत-रिवाज के अनुसार
संख्या 17 गाथीदेवी थी, इस कारण जादा करा अपन आई अन्तराज के
जादा के कोई जाइन्दा पून नही था, एकमात्र जाइन्दा पूनी प्रतिवादिनी
ही कथन किया कि अन्तराज एवं जादा दोनों परस्पर सजे आई थे,
1/2 हिस्सा और बकया 1/2 हिस्सा जादा पून पाबू का होना बताया। साथ
बीधा 06 बिस्वा वाके मौना कालाऊना में प्रतिवादीवण संख्या 12 व 13 का
जाहिर किया। इसी प्रकार खसरा संख्या 340, 342, 343 व 348 रकबा 28
1/4 हिस्सा व बकया 1/4 हिस्सा प्रतिवादीवण संख्या 1 से 5 का होना
मौना कालाऊना में प्रतिवादीवण संख्या 12, 13 का 1/4 हिस्सा, जादा का
खसरा संख्या 1069/351 व 1077/341 रकबा एक बीधा 03 बिस्वा वाके
बकया 1/4 हिस्सा प्रतिवादीवण संख्या 14 से 16 का है। इसी प्रकार
संख्या 12 व 13 और जादा पून पाबू का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा और
10 बिस्वा में प्रतिवादीवण संख्या 1 से 11 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीवण
283, 285, 350, 351, 341, 344, 346, 347 और 1070/349 रकबा 97 बीधा
राजस्व ग्राम कालाऊना के खसरा संख्या 277, 278, 279, 280, 281, 282,
88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद पर्युत कर जाहिर किया कि
वादीवण-अपीलापरस ने राजस्व कालाऊना अधिविषय, 1955 की धारा
संक्षेप में तब इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष
28 दिसम्बर 2014 को पर्युत की गयी है।

अधिविषय, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत द्वारा के समक्ष जिला
पाठित में आदेश जिला 16 दिसम्बर 2014 के खिलाफ राजस्व कालाऊना
वाद संख्या 43/2014 मुकामशाह व अन्य बगल बागुलाल इत्यादि में
अपीलापरस ने जिला महायुक्त कलेक्टर, बिलाडा द्वारा राजस्व ग्राम
जिला : 18 नव., 2019

लिफ्त



दत्तक ग्रहण किया, इसके अतिरिक्त दिनांक 22 फरवरी 1988 को वादी सीनराल के पक्ष में एक वसीयतनामा भी ज्ञापित किया। इस प्रकार वादा के देहावसान के बाद वादग्रत आरजियात में उसके एक-हिस्से की शीम का वारिस वादी सीनराल हुआ, अगर प्रतिवादी संख्या 17 द्वारा वादग्रत आरजियात से वादी को जबरन बेदखल करने की धमकिया देने पर दावा पेश करना पडा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीवण को तलब किया गया। समानों की समाप्ति तामील के उपरान्त भी अज्ञपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2002 को प्रतिवादीवण संख्या एक से सात एवं दस के खिलाफ इकरफा कार्यावाही अमल में लायी गयी। दिनांक 06 अप्रैल 2002 को प्रतिवादी संख्या 17 द्वारा प्रतिवादी वशीयतनामा ज्ञापित किया किमी को दत्तक लिया गया और न ही कोई वशीयतनामा ज्ञापित किया गया। विरासत के आधार पर जादा के हिस्से की आरजियात की वह वही उत्तराधिकारी है। 20 सितम्बर 2002 को प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से जबाबदावा पेश हुआ। दिनांक दिनांक 17 अक्टूबर 2002 को प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से जबाबदावा पेश किया गया। 16 मार्च 2003 को वादी-पक्ष की ओर से प्रतिवादी संख्या 17 के काउन्टर-क्लेम का जबाबल जबाब पेश किया गया।

तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे, जबाबदावे एवं काउन्टर क्लेम एवं जबाबल जबाब के आधार पर दिनांक 10 फरवरी 2004 को

श्री प्रकाश चंद
विरासत अधीनस्थ न्यायालय

M.K.



~~1/11~~

निर्णय एवं फाइनल डिफेंस रिपोर्ट किसे ज्ञान योग्य है।
 पालना के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अधीनस्थान
 पक्षकारानक? को नहीं दिया गया। इस प्रकार संबंधित नियमों की समीक्षा
 उनके संबंध में सुनवाई का कोई अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
 ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन परतव प्रस्तुत होने के बाद
 म. अधीनस्थ निरीक्षक द्वारा विभाजन परतव तैयार किसे जाये है। इतना
 परतव तैयार करने होते हैं मगर आगोच्य प्रकरण में हकका पटवारी एवं
 तहसीलदार को मौके पर जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन
 कारतकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित
 बहसों हेतु कथन किया कि प्राथमिक डिफेंस के अनुसार म. राजस्थान
 अधीनस्थान ले प्रकरण के तथ्यों एवं अपील भीमों में वर्णित बिन्दुओं को
 उभयपक्ष के विरुद्ध अधिवक्तारण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता



है।

खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आगोच्य अधीन पेश की गयी
 किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर 2014 को
 धारा 229 के तहत एक रिज्यू पार्शनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश
 के खिलाफ अधीनस्थान ले राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 की
 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपर निर्णय एवं फाइनल डिफेंस
 दिनांक 02 जून 2014 पारित किसे जाये।
 विभाजन परतव प्राप्त होने पर अधीनस्थान निर्णय एवं फाइनल डिफेंस
 और प्राथमिक डिफेंस जारी की गयी। प्राथमिक डिफेंस की अनुपालना में
 प्रतिवादिनी-रूप. म. न्यायीदेवी का काउण्टर-क्लैम स्वीकार कर दिया गया
 न्यायालय द्वारा वादीरण-अधीनस्थान का दावा खारिज कर
 सुनवाई के बाद निर्णय करते हुए दिनांक 19 मई 2014 को अधीनस्थ
 निम्नलिखित तलकियात कायम की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य

